

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -02/2023-24

तिथि 17/05/23	आदेश	कि गई कार्रवाई										
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अंचलाधिकारी बोड़ाम के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:- 1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है। 2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न) 3. ग्रहिता/ क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं, जिस जिला के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न) 4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता :-1) सुशील महतो, 2) आशुतोष महतो, दोनों के पिता-पदमोलोचन महतो, 3) अजित कुमार महतो, 4) रंजित महतो, दोनों के पिता-अर्जुन महतो, 5) संजय महतो, पिता-जिहुड़ महतो, 6) गुरुचरण महतो, पिता-गोकुल महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-भुला, थाना-बोड़ाम अंचल-बोड़ाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-5,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :-1) सुभाष महतो, 2) प्रभाष चन्द्र महतो 3) ललित महतो तीनों के पिता-स्व0 अमूल्य महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-लावजोड़ा, थाना-बोड़ाम, अंचल-बोड़ाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन, <table border="1"> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> <tr> <td>लावजोड़ा</td> <td>69</td> <td>8</td> <td>142</td> <td>0.36ए०</td> </tr> </table> के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है। लेखापित 17/5/23 भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर।			मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	लावजोड़ा	69	8	142	0.36ए०
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
लावजोड़ा	69	8	142	0.36ए०								